भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :1187
गुरुवार, 9 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई जहाज का आपातकालीन निकास द्वारा को खोला जाना

1187. **एडवोकेट अद्वूर प्रकाश**:

श्री ए.के.पी.चिनराज:

श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10 दिसम्बर, 2022 को चेन्नई विमानपत्तन पर उड़ान 6ई 7339 (चेन्नई से तिरूचिरापल्ली) के एयरलाइन ऑपरेटर ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान एक यात्री द्वारा अवांछित रूप से आपातकालीन निकास द्वारा खोलने के संबंध में सूचना दी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) डीजीसीए द्वारा नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसरण में अवांछित रूप से आपातकालीन निकास खोलने के लिए यात्री के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीजीसीए ने इस मामले में किसी जांच का आदेश दिया है और यदि हां, तो जांच-परिणाम और उस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विमान नियमों और विनियमों के प्रावधान का ब्यौरा क्या है, जिसके अंतर्गत कप्तान के निदेश के बिना अवांछित रूप से आपातकालीन निकास द्वारा खोलने के लिए माफी स्वीकार की जा सकती है;

(ङ) मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसरण में, यदि आपातकालीन निकास द्वारा कप्तान के निदेशों के बिना खोला गया था, तो पालन किए जाने वाले सुरक्षा तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशक) ने हाल ही में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ''घटनाओं एवं उनकी जांच से संबंधित अधिसूचना'' के संबंध में जारी नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड 5 श्रृंखला ग भाग I के अनुसार (दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 की चेन्नै से त्रिची की इंडिगो उड़ान संख्या 6ई7339) का विमान जब ऑन ग्राउंड था तो आपात निकास द्वार को खोले जाने से संबंधित घटना ''रिपोर्ट किए जाने योग्य घटना'' की श्रेणी में नहीं

आती है। इस मामले की जांच संबंधित एयरलाइन द्वारा की गई थी। उड़ान का प्रस्थान प्रत्येक संरक्षा जांच / प्रोटोकोल अपेक्षाएं पूरी किए जाने के पश्चात किया गया था।

इसके अलावा, अनियंत्रित यात्रियों की हैंडलिंग से संबंधित नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार जब कभी एयरलाइन को पायलट-इन-कमांड से किसी अनियंत्रित व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है, तो एयरलाइन द्वारा ऐसी घटना, नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं एयरलाइन द्वारा गठित, आंतरिक समिति को प्रस्तुत की जाती है तथा आंतरिक समिति द्वारा किए जाने वाले निर्णय से संबंधित सूचना के आधार पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा ''नो फ्लाई लिस्ट'' का अनुरक्षण किया जाता है।

(ङ) : निर्माता द्वारा निर्धारित अनुरक्षण प्रक्रिया के अनुसार विमान को उड़ान के लिए रिलीज किए जाने से पूर्व आपात निकास द्वार को वापस स्थापित करना और प्रेशर की जांच किया जाना अपेक्षित होता है।

(च) एवं (छ): जी, हां। एयरलाइन ने यात्री द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की घटना की रिपोर्ट नागर विमानन महानिदेशालय को प्रस्तुत नहीं की थी तथा आंतरिक समिति को घटना की रिपोर्ट देर से प्रस्तुत की गई थी।

न्यूयार्क से नई दिल्ली की दिनांक 26.11.2022 की उड़ान संख्या एआई-102 में यात्री द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की जो घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड 3, श्रृंखला एम, भाग VI के गैर-अनुपालन के कारण जनवरी, 2023 में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एअर इंडिया पर 30 लाख रुपए की शास्ति लगाई गई थी।

****